UPRB010026582026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली

पीठासीन अधिकारी– कुशलपाल,

(एच 0 जे0 एस 0)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1458/2026

बिन्द कुमार उम्र 27 वर्ष पुत्र मैकूलाल निवासी ग्राम हरनी, थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली

... .प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

....विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक–03.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **बिन्द कुमार** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत अपराध संख्या–129/2026, धारा– 331(4),305(A),317(2) **भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **बछरावां,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा मुन्ना लाल द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में अंकित करायी गयी कि वादिनी दिनांक 13.03.2026 की समय रात्रि लगभग 9–10 बजे के मध्य की है, जब प्रार्थी अन्य परिजनों के साथ निमंत्रण में गया हुआ था। घर पर हमारा पुत्र विवेक कुमार ही था जो सुपर ढाबा में खाना खाने चला गया। इसी दौरान अज्ञात चोरों के द्वारा घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर घर के अन्दर घुसकर पटरे पर से बक्शे की चाभी ढूंढकर ताला खोलकर उसमें रखा कीमती जेवरात लगभग 500000/–तथा नकद 165000/– चोरी कर उठा ले गये, जिसकी जानकारी पुत्र के घर आने पर हुई, जिसकी सूचना पर हम लोग तुरन्त ही निमंत्रण से घर आए। जर्जर दरवाजा, घटना का समय, निमंत्रण में जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि किसी जानकार के द्वारा ही चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अतः उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह कथन

किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त का चालान थाना पुलिस बछरावॉ जनपद रायबरेली द्वारा उपरोक्त अपराध में कर दिया है, तथा दिनॉक–15.03.2026 से जेल में है। प्रार्थी / अभियुक्त को थाना पुलिस बछरावाँ जनपद रायबरेली जबरन पकड़ कर थाने लायी और फर्जी बरामदगी प्रदर्शित करते हुए मुकदमा लिखकर चालान कर दिया है। प्रार्थी / अभियुक्त पूर्णरूप से निर्दोष है उसने कोई भी अपराध कारित नही किया है। उसे मात्र पुलिस द्वारा रंजिश के कारण फॅसाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त को गलत व रंजिशन झूठा फॅसा दिया गया है। उसके पास से कुछ भी बरामद नही हुआ है। मामले के सहअभियुक्त की जमानत माननीय न्यायालय श्रीमानजी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। थाना पुलिस द्वारा फर्द गिरफ्तारी एवं फर्द बरामदगी के समय माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय अवर न्यायालय द्वारा दिनॉक–13.05.2026 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी / अभियुक्त का प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रथम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है। प्रार्थी / अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, अपनी संतोषजनक जमानतें देने को तैयार है। रिहा होने के बाद जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। अतः उक्त कथित अपराध प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस की गयी कि प्रार्थी / अभियुक्त को थाना पुलिस बछरावाँ जनपद रायबरेली जबरन पकड़ कर थाने लायी और फर्जी बरामदगी प्रदर्शित करते हुए मुकदमा लिखकर चालान कर दिया है। प्रार्थी / अभियुक्त पूर्णरूप से निर्दोष है उसने कोई भी अपराध कारित नही किया है। उसे मात्र पुलिस द्वारा रंजिश के कारण फॅसाया गया है। उसके पास से कुछ भी बरामद नही हुआ है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक–अभियुक्त व उसका साथी जनपद के तमाम थाना क्षेत्रों में चोरी, नकबजनी की घटना कारित करके आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाते है। अभियुक्त अभ्यस्त अपराध है। पुलिस टीम द्वारा सक्रिय चेकिंग एवं अभियान चलाकर अभियुक्त व उसके साथी को माल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी फर्द मौके पर तैयार की गयी है। अभियुक्त व उसके साथी को मुकदमें में बरामदगी के आधार पर प्रकाश में लाया गया है। अतः अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है।

उभयपक्षों के तर्क के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के

परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 13.03.2026 को उसके घर से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी किये जाने का उल्लेख करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा कीमती जेवरात लगभग पाँच लाख तथा नकदी 1,65,000/–रूपये चुराये जाने का उल्लेख है। फर्द बरामदगी में जिन जेवरातों का वर्णन किया गया है, उनका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जेवर का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। बरामदगी का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी केस डायरी में वर्णित नहीं है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये, आवेदक–अभियुक्त की जमानत का उचित एवं पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **बिन्द कुमार** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–अभियुक्त **बिन्द कुमार** को अपराध संख्या **129/2026,** धारा– **331(4),305(A), 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **बछरावां,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उसके द्वारा पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा व गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।

2– जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी अपराधिक गतिविधियों में या अन्य अपराध कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

3– वह मुकदमें के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगा और साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन नहीं लेगा।

4– वह आरोप विरचित किये जाने की तिथि पर तथा धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अभिलिखित किये जाने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(कुशलपाल)
UPID06165
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
03.06.2026

Vishnu Prakash Srivastava
(Stenographer)